मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-अप्रैल, 2006 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 24 मार्च, 2006 (चैत्र 3, 1928)

समय 10.30 बजे दिन

1. निधन उल्लेख

निम्नलिखित के निधन संबंधी उल्लेख -

(1) श्री मनोहर सिंह मेहता, भूतपूर्व सदस्य, विधान सभा, तथा

(2) कर्नल गुरुबख्श सिंह ढिल्लन, आजाद हिंद फौज के वीर सिपाही.

2. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री बाबूलाल गौर, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इनवेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड का सत्ताइसवां वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे दिनांक 31 मार्च, 2004 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पटल पर रखेंगे.

(2) श्री राघवजी, वित्त मंत्री, -

(क) विकास योजनाओं से संबंधित परिणामी बजट वर्ष 2006-2007; एवं

(ख) भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार भारत के नियंत्रक -महालेखा परीक्षक का -

(i) प्रतिवेदन दिनांक 31 मार्च, 2005 को समाप्त वर्ष (राजस्व प्राप्तियां) ;

(ii) प्रतिवेदन दिनांक 31 मार्च, 2005 को समाप्त वर्ष का वाणिज्यिक ; तथा

(iii) प्रतिवेदन दिनांक 31 मार्च, 2005 को समाप्त वर्ष (सिविल),

(ग) वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एल-17-14-2005-चार-ब-7, दिनांक 27 जनवरी, 2006,

पटल पर रखेंगे.

(3) श्री हिम्मत कोठारी, परिवहन मंत्री, रोड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन एक्ट, 1950 की धारा 33 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश सड़क परिवहन निगम के लेखे वर्ष 2003-2004 तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन पटल पर रखेंगे.

(4) श्री कैलाश विजयवर्गीय, ऊर्जा मंत्री, -

(क) विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 75 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2004-2005, तथा

(ख) विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक 301/म.प्र.वि.नि.आ./2006, दिनांक 28 जनवरी, 2006,

पटल पर रखेंगे.

(5) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, राज्यमंत्री खनिज साधन, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार दि मध्यप्रदेश स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल का 42 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2004-2005 पटल पर रखेंगे.

4. राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना.

5. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री इन्द्रजीत कुमार, सदस्य, सीधी जिले में अल्प वर्षा से उत्पन्न स्थिति की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य, उज्जैन संभाग में मध्यप्रदेश बीज निगम द्वारा कृषकों को नकली बीज का वितरण किये जाने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, कुंवर विक्रम सिंह "नातीराजा", अर्जुन पलिया, सदस्य, रीवा जिले के ग्राम खटखरी में दो व्यक्तियों की हत्या होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री सत्यदेव कटारे, सदस्य, भिण्ड जिले में सामूहिक नकल में लिप्त विद्यालयों को पुनः परीक्षा केन्द्र बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) सर्वश्री गजराज सिंह सिकरवार, नानालाल पाटीदार, गिरिराज मण्डलोई, सदस्य, शाजापुर जिले में उद्यान हेतु पौध खरीदी में अनियमितता किये जाने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) श्री गोविन्द सिंह राजपूत, सदस्य, सागर जिले के जिला सहकारी बैंक की जैसीनगर शाखा द्वारा ऋण वितरण में अनियमितता किये जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) श्रीमती अलका जैन, सदस्य, कटनी जिले की जल आवर्धन योजना का कार्य अपूर्ण होने से उत्पन्न स्थिति की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी.

(8) सर्वश्री मनोहरलाल राठौर, रामलखन शर्मा, राजेश पटेल, सदस्य, हरदा जिले की हण्डिया नहर शाखा से सिंचाई हेतु पानी न मिलने से उत्पन्न स्थिति की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(9)डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य, रीवा जिले की हनुमना तहसील में सूखे से उत्पन्न स्थिति की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(10) डॉ. निशिथ पटेल, सदस्य, बरगी व्यपवर्तन परियोजना की दांई तट नहर के निर्माण में अनियमितता होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(11) डॉ. आई.एम.पी.वर्मा, सदस्य, रीवा जिले के वन परिक्षेत्र मऊगंज क्षेत्र अन्तर्गत अवैध रूप से पत्थर उत्खनन किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(12) श्री प्रेमचंद गुड्डू, सदस्य, रतलाम एवं उज्जैन जिलों में मोगिया जाति को जनजाति की सुविधा न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर आदिम जाति कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(13) श्री छत्रपति सिंह, सदस्य, सीधी जिले के ग्राम बंजारी में अज्ञात बीमारी से कई पशुओं की मौत होने की ओर पशुपालन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(14) डॉ. सुनीलम्, सदस्य, झाबुआ जिले के मेघनगर एवं थांदला क्षेत्र की मिनरल्स कम्पनियों में कार्यरत कर्मचारियों की अज्ञात बीमारी से मौत होने की ओर श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(15) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य, प्रदेश के अनेक जिलों में अवैध रूप से रेत की खदानें संचालित होने की ओर राज्यमंत्री खनिज साधन का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(16) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य, उज्जैन जिले के खाचरोद क्षेत्र में मादक पदार्थों का अवैध कारोबार होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(17) श्री बोधसिंह भगत, सदस्य, बालाघाट जिले के मानपुर निवासी व्यक्ति की संदिग्ध मौत होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(18) पं. हरिचरण तिवारी, सदस्य, राजगढ़ नगर के गांधी बिहार कालोनी में आवंटित भूखण्डों की रजिस्ट्री में अनियमितता किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(19) श्री अहिरवार रामदयाल, सदस्य, छतरपुर जिले की उर्मिल बांध के दाईं तट नहर से सिंचाई हेतु पानी न मिलने से उत्पन्न स्थिति की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(20) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य, रीवा जिले के विधान सभा क्षेत्र मऊगंज के कई ग्रामों में पेयजल संकट से उत्पन्न स्थिति की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(21) पं. हरिचरण तिवारी, डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य, राजगढ़ एवं रीवा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में केरोसिन के वितरण में अनियमितता होने की ओर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(22) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय, सदस्य, रतलाम जिले के माही बांध से पेयजल एवं सिंचाई हेतु पानी न मिलने से उत्पन्न स्थिति की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(23) सर्वश्री आरिफ अकील, राजेश पटेल, सदस्य, भोपाल में महिलाओं पर तेजाब फेके जाने की घटनाएं होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(24) श्री राजनारायण सिंह पूरनी, सदस्य, इंदिरा सागर एवं ओंकारेश्वर परियोजना के डूब प्रभावितों को मुआवजा वितरण में अनियमितता होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(25) डॉ. गोविन्द सिंह, सर्वश्री आरिफ अकील, रामनिवास रावत, सदस्य, मुरैना जिले के पूर्व सांसद का अज्ञात डकैतों द्वारा अपहरण किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(26) सर्वश्री नारायण त्रिपाठी, बंशमणि प्रसाद वर्मा, डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य, सतना जिले की नागौद पुलिस द्वारा एक महिला के साथ मारपीट होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(27) श्री बंशमणि प्रसाद वर्मा, सदस्य, सीधी जिले के शिवपुरवा निवासी व्यक्ति की हत्या होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(28) श्री आरिफ अकील, सदस्य, प्रदेश में प्रसव सुविधा हेतु उपकरण खरीदी में अनियमितता होने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(29) श्री प्रेमचंद गुड्डू, सदस्य, उज्जैन जिले में कृषकों को केंचुआ वितरण में अनियमितता होने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(30) श्री नागेन्द्र सिंह (गुढ़), सदस्य, रीवा भू-अभिलेख कार्यालय द्वारा रिकार्डों को जलाये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(31) कुंवर विजय बहादुर सिंह बुंदेला, सदस्य, छतरपुर जिले के ग्राम नेहरा स्थित शाला भवन का निर्माण डूब क्षेत्र में किये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(32) श्री लाखन सिंह बघेल, सदस्य, राजगढ़ जिले के दूधी बांध के डूब प्रभावितों को मुआवजा न दिये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(33) डॉ. गौरीशंकर शेजवार, सदस्य, सागर एवं रायसेन जिले में विद्युत तारों से करंट लगने से कई व्यक्तियों की मौत होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(34) श्री आरिफ अकील, सदस्य, सागर स्थित कब्रिस्तान की भूमि को सार्वजनिक पार्क घोषित किये जाने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(35) श्री बहादुर सिंह चौहान, सदस्य, उज्जैन जिले के महिदपुर वक्फ के सचिव द्वारा अनियमितता किये जाने की ओर अल्प-संख्यक कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(36) श्री हरवंश सिंह, सदस्य, सिवनी जिले में राष्ट्रीय समविकास योजना अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों में अनियमितता होने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(37) श्री राजेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य, सतना जिले के ग्राम पटना में वन रहे स्टाप डेम कम रपटा के निर्माण में अनियमितता होने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(38) श्रीमती सरोज बच्चन नायक, सदस्य, कटनी जिले में खाद्यान्न की कालाबाजारी होने की ओर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी.

(39) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य, श्योपुर जिला चिकित्सालय में स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव होने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(40) सर्वश्री रामनिवास रावत, आरिफ अकील, सदस्य, मुरैना जिले के ग्राम बड़मन में जल उपभोक्ता समिति के चुनाव में एक व्यक्ति की हत्या होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(41) सर्वश्री सज्जन सिंह वर्मा, रामनिवास रावत, राजेश पटेल, सदस्य, इंदौर शहर में डकैती की घटनाएँ घटित होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(42) सर्वश्री रामनिवास रावत, आरिफ अकील, सदस्य, दमोह की सुभाष कालोनी निवासी एक व्यक्ति की हत्या होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(43) श्री हरिशंकर खटीक, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के ग्राम कुडीला स्थित जैन मंदिर से मूर्ति की चोरी होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(44) ठाकुर सोबरन सिंह "बाबूजी", सदस्य, जबलपुर जिले के शहपुरा रेंज में वन कर्मियों द्वारा कृषकों की फसल नष्ट किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(45) श्री भक्तपाल सिंह, सदस्य, भोपाल में नगर सैनिकों की भर्ती में अनियमितताएं होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

6. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

श्री मधुकर हर्णे, सभापति, पटल पर रखे गये पत्रों का परीक्षण करने संबंधी समिति का सप्तम् एवं अष्टम् प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

7. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री गिरिराज मण्डलोई, सदस्य, शाजापुर जिले के अकोदिया मण्डी में सब -रजिस्ट्रार का कार्यालय खोले जाने,

(2) श्री गजराज सिंह सिकरवार, सदस्य, मुरैना जिले के ग्राम गढ़ीखेड़ा से अटा तक सडक बनाये जाने,

(3) श्री देवीसिंह पटेल,सदस्य,बड़वानी जिले के ग्राम हरिबड़,पिपरी बुजुर्ग व रणगोद रोड में हाई स्कूल खोले जाने,

(4) श्री दीवान सिंह पटेल,सदस्य, बड़वानी जिले के -

(क) ग्राम पलसूद में कन्या हायर सेकेन्डरी स्कूल खोले जाने,

(ख) पानसेमल नगर स्थित कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कामर्स विषय प्रारम्भ कराये जाने,तथा

(ग) पानसेमल नगर के शिव मन्दिर के पास नदी पर पुलिया निर्माण कराये जाने,

(5) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के -

(क) ग्राम मोहनगढ़ में कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोले जाने,

(ख) ग्राम मोहनगढ़ से अर्चरा तक पक्की सड़क बनाये जाने, तथा

(ग) पृथ्वीपुर व निवाड़ी स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर लेन्स प्रत्यारोपण की सुविधायें उपलब्ध कराये जाने,

(6) श्री रामदास उइके,सदस्य, छिंदवाड़ा जिले के -

(क) ग्राम मोरडोंगरी से साजवा तक सड़क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,

(ख) ग्राम दबक में माध्यमिक शाला खोले जाने, तथा

(ग) ग्राम दबक से आमझिरी तक सड़क बनाये जाने,

(7) पं. रमेश दुबे,सदस्य, छिंदवाड़ा जिले के -

(क) ग्राम पालादौन से छिंदवाड़ा - सिवनी मुख्य मार्ग तक डामरीकृत मार्ग एवं पुलिया बनाये जाने,

(ख) ग्राम मरकाहांडी से सिरेगांव तक डामरीकृत मार्ग एवं पुलिया बनाये जाने, तथा

(ग) ग्राम मोरखा में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोले जाने,

(8) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य, श्योपुर जिले के -

(क) मकड़ावदा - वाजरली मार्ग का उन्नयन कराये जाने, तथा

(ख) श्योपुर नगर में बायपास रोड़ बनाये जाने,

(9) श्री शिवप्रसाद राठौर, सदस्य, बैतूल जिले के -

(क) ग्राम जामठी से माथनी तक सड़क बनाये जाने,

(ख) सदर स्थित आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित हाई स्कूल का उन्नयन कराये जाने, तथा

(ग) ग्राम सिल्लौट, सोनाघाटी एवं चांदबेहड़ा में हाई स्कूल खोले जाने,

(10) श्री नागेन्द्र सिंह (गुढ़), सदस्य, रीवा जिले के -

(क) ग्राम महसाव स्थित शराब की दुकान अन्यत्र हटाये जाने,

(ख) ग्राम चुआं के अनुसूचित जाति बस्ती पथरहाई टोला तक सड़क बनाये जाने,तथा

(ग) ग्राम मड़वा के अनुसूचित जन जाति बस्ती प्रेमनगर तक विद्युतीकरण कराये जाने,

(11) श्री गोविन्द सिंह पटेल,सदस्य, नरसिंहपुर जिले के -

(क) गाडरवारा कृषि उपजमंडी से रेलवे गेट तक बाय पास रोड बनाये जाने, तथा

(ख) गाडरवारा नगर के पास शक्कर नदी पर स्टाप डेम बनाये जाने,

(12) श्री जालम सिंह पटेल, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के -

(क) ग्राम उमरिया स्थित हाई स्कूल का उन्नयन कराये जाने,

(ख) रातीकरार एवं देवाकछार के मध्य बारूरेवा नदी पर पुल बनाये जाने,

(ग) करेली नगर से राकई पिपरिया तक सड़क मार्ग की मरम्मत कराये जाने, तथा

(घ) ग्राम केरपानी व मेहुगंवा के मध्य नर्मदा नदी पर पुल बनाये जाने,

(13) श्री सज्जन सिंह वर्मा,सदस्य, देवास जिले के -

(क) ग्राम धतुरिया राव से भोपाल मार्ग तक सड़क बनाये जाने,तथा

(ख) ग्राम भुरमिया में स्टाप डेम बनाये जाने,

(14) श्री बृजेन्द्र प्रताप,सदस्य, पन्ना जिले के -

(क) ग्राम टिकरिया में स्टोन पार्क खोले जाने,

(ख) ग्राम शाहनगर स्थित कन्या माध्यमिक शाला का उन्नयन कराये जाने,

(ग) ग्राम नुनागर व बिहरिया के मध्य आलौनी नदी पर रपटा बनाये जाने, तथा

(घ) ग्राम बिसानी व देवरा के मध्य केन नदी पर रपटा बनाये जाने,

(15) श्री उमाशंकर गुप्ता, सदस्य, भोपाल नगर के नेहरू नगर चौराहे से भदभदा चौराहे तक स्ट्रीट लाईट लगाये जाने,

(16) श्री मारोतराव खवसे, सदस्य, छिंदवाड़ा जिले के ग्राम सावरगांव में हाई स्कूल खोले जाने,

(17) डॉ. निशिथ पटेल, सदस्य, कटनी जिले के -

(क) बहोरीबंद व ढीमरखेड़ा में तहसील कार्यालय भवन बनाने हेतु राशि आवंटन कराये जाने, तथा

(ख) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बहोरीबन्द में एक्स-रे मशीन सुधरवाये जाने,

(18) श्री पर्वेसिंह पारगी, सदस्य, झाबुआ जिले के -

(क) ग्राम लिमड़ी से राजगढ़ तक सड़क बनाये जाने,तथा

(ख) ग्राम रजला में पुलिस चौकी स्थापित किये जाने,

के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

8. वन मंत्री का वक्तव्य

श्री हिम्मत कोठारी, वन मंत्री, दिनांक 28 दिसम्बर, 2005 को पूछे गये परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 42 (क्रमांक 588) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

निर्धारित समय

9. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री बाबूलाल गौर, वाणिज्यिक कर मंत्री, मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 9 सन् 2006) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(2) श्री कैलाश विजयवर्गीय, लोक निर्माण मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि भारतीय पथकर (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 7 सन् 2006) पर विचार किया जाय. — **30 मि.**

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(3) श्री अजय विश्नोई, चिकित्सा शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश चिकित्सीय शिक्षा संस्था (नियंत्रण) संशोधन विधेयक, 2006 (क्रमांक 8 सन् 2006) पर विचार किया जाय. — **1घन्टा**

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(4) श्री बाबूलाल गौर, वाणिज्यिक कर मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 9 सन् 2006) पर विचार किया जाय. — **2 घन्टे**

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

डॉ. ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांकः 23 मार्च, 2006